

## आवश्यक-सूचना

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति (ICC) का गठन महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।

### आन्तरिक परिवाद कमेटी (Internal Complaint Comiittee)

- |                    |   |                                                                                                                                                     |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. पीठासीन अधिकारी | — | डा० दिव्या श्रीवास्तवा,<br>प्रवक्ता, पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, गोरखपुर (7 वर्ष का अनुभव)<br>Mob.: 8707731299, Email ID: drdivyasri12@gmail.com |
| 2. सदस्य           | — | डा० संगीता श्रीवास्तवा,<br>प्रवक्ता, पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी।<br>Mob.: 9628823123, Email ID: srivastavasangeeta01@gmail.com                   |
| 3. सदस्य           | — | श्रीमती शालीनी श्रीनेत,<br>समाजसेविका (मेरा रंग NGO)<br>Mob.: 8826848668, Email ID: Shrinet.shalini@gmail.com                                       |
| 4. सदस्य           | — | डा० शिशिर सिंह श्रीनेत, प्रवक्ता<br>प्रवक्ता, पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी।<br>Mob.: 9598778877, Email ID: drshishirpacific@gmail.com              |
| 5. सदस्य           | — | डा० कैफ खान, प्रवक्ता<br>प्रवक्ता, पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी।<br>Mob.: 9807552378, Email ID: drkkhan_96@gmail.com                               |

उक्त समिति से अपेक्षा की जाती है कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

  
 आचार्य से,  
 (डा० दिव्या श्रीवास्तवा)  
 प्रवक्ता  
 Pacific College of Physiotherapy,  
 Gorakhpur